भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था का विकास

डॉ. मो. जोहा सिद्दीकी

भारतीय दल प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अधिकांश राजनीतिक दल अपने अस्तित्व व सफलता के लिए सिद्धान्तों नीतियों और कार्यक्रमों पर निर्भर न होकर किसी व्यक्ति विशेष के चमत्कारिक नेतृत्व व व्यक्तित्व पर निर्भर करते है। कांग्रेस की राजनीति लम्बे समय तक पं. नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी व राजीव गांधी के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती रही और आज भी राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन और सम्पूर्ण भारत में अपना जनाधार रखने वाला यह एक मात्र दल नेतृत्व अस्तित्व व भविष्य के लिए गांधी नेहरू परिवार पर ही निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद 1978 में इस दल में होने वाले विभाजन व्यक्तित्व और अहम के टकराव के परिणाम थे। तमिल मनिला कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व, वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के गठन का भी संभवतः यही कारण था। बहुत से छोटे और क्षेत्रीय दल तो नेतृत्व विशेष के व्यक्तित्व से न केवल संचालित होते है बल्कि इनके निजी संगठन के रूप में परिलक्षित होते है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव, उ.प्र. में बहुजन समाज पार्टी मायावती, समांजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, तमिलनाडु में द्रमुक एम करूणानिधि, आल इन्डिया द्रमुक जयललिता महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आन्ध्र प्रदेश में तेलगुदेशम पार्टी चन्द्र बाबू नायडू, असम में असम गणपरिषद प्रफुल्ल कुमार महंत जैसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं शक्ति पर टिका हुआ है। इस व्यक्तिवादी राजनीति का दुष्परिणाम यह हुआ है कि भारत में राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण निर्णय और कार्य लोकतांत्रिक प्रणाली से न तय करके नेतृत्व की इच्छा पर छोड़ देने की परम्परा विकसित होती जा रही है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये धातक है। राजनीतिक दलों के क्रियान्वयन में शीर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और सतह के कार्यकर्त्ताओं की स्थिति मात्र शीर्ष द्वारा निर्देशित पात्रों की ही रह जाती है।